



Neutral Citation No-2026:AHC:698

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 3771 वर्ष 1986

विद्याधर सिंह याचिकाकर्ता

बनाम

डी.डी.सी. प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आर.एस.

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: बाल राम बिंद, शशि नंदन, सुबोध पांडे

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

पुनः दीवानी विविध उपशमन आवेदन संख्या-254634 वर्ष 2009।

1. तत्काल छूट आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज करने के लिए दायर किया गया है कि मृतक याचिकाकर्ता संख्या-1 और 2 के उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों, जिनकी 10 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है, को अभिलेखों पर नहीं लाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिपक्षी प्रतिपक्षियों की भी मृत्यु हो गई है और आज तक कोई प्रतिस्थापन आवेदन दायर नहीं किया गया है।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत रिट याचिका को बनाए रखने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं बचता है।

3. इस तरह के उपशमन आवेदन की अनुमति दी जाती है और रिट याचिका को **खारिज** किया जाता है।

पुनः रिट याचिका

4. जैसा कि ऊपर उल्लिखित तारीख के आदेश को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को समाप्त के रूप में **खारिज** किया जाता है।



जनवरी 5, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!